FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

सोरखाराम बनाम बालाराम वगैरा

किस्म मुकदमा RT आवेदन 111,128 RLR Act नं. 31 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.2.2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25/2/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
25/2/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनु०। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई, विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अभिभाषक उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 11/3/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 20:24:05 IST
Reason: SelfAttested

11/3/2020

क्रमांक / वाद / 2020 / 279
प्रार्थीगण
1. गोर

प्रार्थी वकील उप० । विप्रार्थीगण अनु०
प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी विप्रार्थीगण के खेत सटते हुए आए हुए हैं। दोनों खेतों के बीच पुरानी मोड़ें एवं कांटे बने हुए हैं जो आंधियों की वजह से बिखर गए हैं। जिनसे पक्षकारों को सही सीमा का ज्ञान नहीं हो रहा है तथा वर्षात होने पर विप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में काश्त कर लेते हैं जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के बीच तनाव बना रहता है। इस कारण प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेजाबंदी करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेजाबंदी आवेदन स्वीकार कर नेजाबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी का नेजाबंदी आवेदन स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार बायतु को कमीशन एवं सम्बंधित भू.अ. निरीक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पक्की नेजाबंदी मौके पर कमीशन शुल्क 500/- जमा करवाकर करें, पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो बाद तामील हो कर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]
11.3.2020

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 20:24:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

दिनांकः– 11.03.2020

कमांक / वाद / 2020 / 279

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. गोरधनराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. बालाराम पुत्र भगवानाराम वगैरा निवासी चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 31 / 2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा चौखला पटवार हल्का चौखला तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 445 / 249 रकबा 21 बीघा 04 बिस्वा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2020 / 279 to 284

दिनांकः–

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी चौखला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री गोरधनराम
4. विप्रार्थीगण श्री बालाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा ।

11.3.2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.18 20:24:05 IST
Reason: SelfAttested